संख्या-88/2015/1290/78-2-2015-65आई.टी./2010

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 05 अगस्त, 2015

विषय:- राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा आई.टी./ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में पॉलिसी ऑन ओपेन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (ए.पी.आई.) के उपयोग के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि डिजीटल इण्डिया प्रोग्राम के अंतर्गत आम जनमानस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिक से अधिक सेवायें उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्टरओपरेबल सिस्टम्स की आवश्यकता होगी जिससे की सही समय पर सही उपयोगकर्ता के लिए सही जानकारी उपलब्ध करायी जा सके। सभी विभागों के आन्तरिक कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के साफ्टवेयर एवं ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इन विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर का दूसरे विभाग के एप्लीकेशन साफ्टवेयर से सम्पर्क हेतु ओपेन ए.पी.आई. का उपयोग किया जाना महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध भारत सरकार द्वारा एक पालिसी भी निर्गत की गई है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है:-

a) यह सुनिश्चित करना कि सभी ई-गवर्नेन्स एप्लीकेशन के लिए सभी सरकारी विभागों द्वारा ए.पी.आई. डेवेलप किए जाए।
b) दूसरे विभागों की ई-गवर्नेन्स एप्लीकेशनों के साथ त्वरित और पारदर्शी इंटीग्रेशन के लिए सक्षम बनाना।
c) विभिन्न ई-गवर्नेन्स एप्लीकेशनों के बीच सूचना और डाटा को सुरक्षित और विश्वसनीय ढंग से साझा कर सुगम बनाना।
d) आम जनमानस को ई-गवर्नेन्स एप्लीकेशनों से डाटा की उपलब्धता के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा देना और उसमें शीघ्रता लाना।
e) सरकारी संगठनों को इन ओपेन ए.पी.आई. के विकास, प्रशासन, कार्यान्वन और उपयोग करने में मार्गदर्शन प्रदान करना।

2. भारत सरकार द्वारा इन्टरऑपराबेलिटी सुनिश्चित कराये जाने हेतु ओपेन ए.पी.आई. का विवरण निम्नलिखित है:-

a. सभी सरकारी संगठनों द्वारा अपने संगत ई-गवर्नेन्स अनुप्रयोगों के जरिये उपलब्ध करायी जा रही सुसंगत सूचना सभी के लिए ओपेन रूप से उपलब्ध होगी और मशीन के जरिये उसे पढा जा सकेगा।
b. किसी सरकारी संगठन की सभी उपयुक्त सूचना और राष्ट्रीय डाटा साझीकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी-2012) में किए गए वर्गीकरण के अनुसार ओपेन ए.पी.आई. द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ताकि जनता सूचना और डाटा का अभिगम कर सके।
c. निर्मित किए गए सभी ओपेन ए.पी.आई. और उपलब्ध डाटा के लिए राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा नीति का अनुपालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

d. सरकारी संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि ओपेन ए.पी.आई. स्थायी और आरोह्य (scalable) हों।

e. किसी सरकारी संगठन के ई-गवर्नेन्स अनुप्रयोग अथवा प्रणाली में सभी संगत सूचना, डाटा और क्रियाविधियों ओपेन ए.पी.आई. के जरिये अन्य ई-गवर्नेन्स अनुप्रयोगों और प्रणालियों को उपलब्ध करायी जायेंगी, जो प्लेटफार्म और भाषा की दृष्टि से स्वतन्त्र होगी।

f. ऐसी सरकारी संगठन, जो ओपेन ए.पी.आई. का इस्तेमाल करते हुए अन्य ई-गवर्नेन्स अनुप्रयोगों और प्रणालियों से डाटा और सूचना का उपयोग करते है, वह ए.पी.आई. प्रकाशित करने वाले संगठन द्वारा यथापरिभाषित प्रक्रिया के जरिये सूचना का रख-रखाव, अधिप्रमाणन और उसके लिए प्राधिकार प्रदान करेगा।

g. किसी सरकारी संगठन का प्रत्येक प्रकाशित ए.पी.आई. जहां तक सम्भव हो अन्य सरकारी संगठनों और जनता को नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

h. प्रत्येक प्रकाशित ए.पी.आई. का नमूना कोड और पर्याप्त सूचना के साथ उचित ढंग से प्रलेखीकरण किया जायेगा जिससे कि विकासकर्ता ए.पी.आई. का इस्तेमाल कर सके।

i. ओपेन ए.पी.आई. का जीवन चक्र ए.पी.आई. प्रकाशित करने वाले सरकारी संगठन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ए.पी.आई. कम से कम दो पूर्ववर्ती संस्करणों के साथ पहले से अनुकूल (बैकवर्ड कम्पेटिबल) होगा।

j. निर्मित सभी ओपेन ए.पी.आई. प्रणालियों और उपलब्ध कराये गये डाटा के लिए भारत सरकार की सुरक्षा नीतियों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

k. सेवा की अन्तरप्रचालनीयता (interoperability) और एकल साइन-ऑन सुविधा को सक्षम बनाने के लिये सरकारी संगठन एक अधिप्रमाणन तंत्र का इस्तेमाल कर सकते है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि भारत सरकार द्वारा ओपेन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन्टरफेश पर निर्गत पॉलिसी http://egovstandards.gov.in पर उपलब्ध है तथा आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित भी की जा रही है। कृपया उक्त पॉलिसी का अपने विभाग में अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः88/2015/1290(1)/78-2-2015 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव(एन/बी), आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. उप महानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एल.सी., 10, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती बैराज, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।